

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

नीमा देवी वगै० बनाम भूमिधारी

मुकदमा :- प्रार्थना पत्र 128

मु०नं० 228 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। वहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मालनगर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 803 रकबा 2.02 हैक्ट० प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर वाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बावत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रा० पत्र 228 / 2024

निर्णय दिनांक 14.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम मालनगर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 803 रकबा 2.02 हैक्ट० की प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 07.05.2024 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दपतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

